कार्यालय–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :– 391 दिनांक :– 24.5.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 2.356 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक 960 दिनांक 15.05.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा के प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रयोन्ता एजेन्सी (कार्यपालक अभियन्ता) पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर द्वारा समर्पित गुवा लिंक रोड MDR (187) कुल लम्बाई 6.865 कि0मी0 अन्तर्गत बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण / पुर्नर्मिाण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् 2.356 हे0 स्थायी अपयोजन एवं 0.2 हे0 अस्थायी अपयोजन का प्रस्ताव (संशोधित) Online दिनांक 15.05.2017 को upload करते हुए Hard copy पाँच प्रतियों में उपलब्ध कराया गया है।

विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. विषयगत परियोजना का Proposal No. FP/JH/Road/24303/2017 है।
2. विषयगत मामले में वन क्षेत्र में पड़नेवाले क्षेत्र 4.45 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पूर्व में इस कार्यालय द्वारा अग्रसारित किया गया है, जिसे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Withdrawal कर लिया गया है।
3. पूर्व में पथ की प्रस्तावित चौड़ाई 20.00 मी0 एवं पुलिया की 25.00 मीटर जिसमें पूर्व चौड़ाई 10.00 मी0 छोड़कर अपयोजित होने वाली क्षेत्र की संगणना की गई थी।
4. वन संरक्षक के स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित पथ 10 मी0 खण्डित चौड़ाई उपलब्ध रहने, वैकल्पिक रास्ता एवं रेलवे लाईन उपलब्ध होने, 0.75 घनत्व का प्राकृतिक साल जंगल होने, जनसंख्या घनत्व कम होने, काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या अत्यधिक होने इत्यादि के आलोक में पूर्व प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की गई थी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (नोडल पदाधिकारी) से प्रस्ताव को Withdraw करने हेतु अनुरोध किया गया ताकि निर्णयानुसार Fresh Proposal समर्पित किया जा सके। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता एजेन्सी का पत्रांक–155 दिनांक–9.2.2017 प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–8 में संलग्न है। उक्त के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी (कार्यपालक अभियन्ता) पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर द्वारा

विषयक पथ का चौड़ीकरण/पुर्ननिर्माण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् 2.356 हे0 वनभूमि अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव Online समर्पित किया गया है।

6. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 26.03.2017 को प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि पहले जो 20 मी0 चौड़ाई का प्रस्ताव था उसे अब 14 मी0 में परिवर्तित किया गया है। स्थल पर केवल प्रयोक्ता एजेंसी के अनुसार निर्माण के क्रम में काटे जाने वाले 57 वृक्षों का ही मार्किंग किया गया है। पूरे 14 मी0 चौड़ाई एवं कलभर्ट/पुलिया डायभर्सन में पड़ने वाले वृक्षों के संयुक्त मार्किंग का अनुरोध किया गया लेकिन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। फलस्वरूप वन विभाग द्वारा स्वयं मार्किंग कर सूची समर्पित की जा रही है। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि "For storage of construction materials, disposal of surplus material and for movement of construction machinery, forest land may be used beyond 14 m." लेकिन न तो यह चिन्हित है, न ही इसकी गणना कर प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। अतः इसकी उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। DPR में परिवर्तन नहीं होने से 14 मी0 के बाहर के वन भूमि का उपयोग होना स्वभाविक भी लगता है।

7. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या – 15 एवं 16 में प्रस्तावित अपयोजन क्षेत्र 2.356 हे0 का Land schedule संलग्न है। Land schedule के अनुसार संशोधित अपयोजन प्रस्ताव 2.356 हे0 में वर्तमान पथ की वास्तविक चौड़ाई 10 मीटर मानते हुए पूरे पथ के दोनों तरफ 2–2 मीटर चौड़ाई अर्थात 4 मीटर एवं प्रस्तावित 19 Culvert तथा 3 पुलिया के लिए 3–3 मीटर चौड़ाई अर्थात 6 मीटर चौड़ाई हेतु अपयोजन प्रस्ताव समर्पित है। इसके अतिरिक्त 2 पुलिया निर्माण हेतु 10 मीटर चौड़ा एवं 200 मीटर लम्बा diversion कुल 0.2 हे0 अस्थायी अपयोजन प्रस्तावित है। इस तरह Land schedule के संगणना के अनुसार 2.356 हे0 स्थायी वनभूमि अपयोजन तथा 0.2 हे0 अस्थायी वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित है।

8. LWE क्षेत्र के लिए भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश के अनुसार 5.00 हे0 तक का General approval का प्रावधान है। General approval के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण की आवश्यकता नहीं है परन्तु NPV भुगतान अनुमान्य है। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा NPV के अतिरिक्त क्षतिपूरक वनरोपण की लागत राशि जमा करने संबंधी बचनवद्धता समर्पित की गई है जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–14 में संलग्न है।

9. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत 4.45 हे0 भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपायुक्त, पश्चिमी सिहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक 1480 (बी0) दिनांक 14.12.2016 से पूर्व में निर्गत किया गया है, संबंधित अभिलेख प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या–20 से 33 में संलग्न है। नया प्रस्तावित क्षेत्र 2.356 हे0 पूर्व के 4.45 हे0 का ही अंश है।

10. प्रस्ताव के साथ पथ निर्माण विभाग,झारखण्ड सरकार के द्वारा वनभूमि अपयोजन हेतु प्राधिकृत पत्र पृष्ठ संख्या – 17 में संलग्न है।

11. प्रस्ताव के साथ पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक स्वीकृति पत्र पृष्ठ संख्या – 18 एवं 19 में संलग्न है।

12. प्रस्ताव के साथ Google earth के Image Map (imagery date 29.12.2015) में पथ का रेखांकन मैप पृष्ठ संख्या – 46 में संलग्न है।

13. प्रस्ताव के साथ 1:50000 स्केल के टोपोशीट पर प्रस्तावित रोड का रेखांकित कर पृष्ठ संख्या – 49 में संलग्न है।

14. प्रस्ताव के साथ पथ का Alignment Plan Map पृष्ठ संख्या – 51 में संलग्न है।

15. प्रस्ताव के साथ Geo Referance Map of Gua Link Road (Hathi Chowk to Gua) पृष्ठ संख्या – 52 में संलग्न है।

16. प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र 2.356 हे0 में अवस्थित वृक्षों की गणना कराई गई है। गणना सूची के अनुसार अपयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 2.356 हे0 में वृक्षों की संख्या 1065 है। प्रस्तावित गणना सूची अनु0– Annexture-2 प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा सूचित किया गया है कि पातन किये जाने वाले सिर्फ 57 वृक्ष हैं जिसकी सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–39 में संलग्न किया गया है। प्रस्तावित वनभूमि का वनस्पति घनत्व 0.75 है एवं Eco-Class-I है।

17. प्रस्ताव के साथ ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति पृष्ठ संख्या – 34 से 38 में संलग्न है।

18. प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र किसी नेशनल पार्क, वन्य प्राणी आश्रयणी ,बायोस्फेयर रिर्जव अथवा राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परन्तु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है। इस हेतु CWLW की मंतव्य की मांग की जा रही है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जाएगा।

19. प्रस्तावित प्रस्ताव से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में वन्य प्राणियों के समुचित संरक्षण/प्रबन्धन करने तथा संभावित मानव–वन्य प्राणी द्वन्द से निपटने हेतु एक समग्र वन्य प्राणी प्रबन्धन योजना का कियान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण को अपने लागत खर्च पर करना होगा ।

20. पार्ट– IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।

21. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा नया अपयोजन प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक अभिलेखों का कमवार स्थिति निम्नवत् है :–

Sl. No.	Item	Page No.
1	Online Print of FORM "A"	1-7
2	EE RCD Letter No 155 dt 09.02.2017	8
3	FORM "A"	9-13
4	Undertaking (for CA and NPV)	14
5	Land Schedule	15-16
6	Authority Letter	17
7	Phatocopy of A.A.	18-19
8	FRA Certificate of D C, Chaibasa	20-33
9	Gram Sabha	34-38
10	Trees List to be fell	39
11	Bearings	40-45

12	Google Map	46
13	Road Map Showing State Highway "51" Before 1980	47
14	Google Referance Map	48
15	Topo Sheet No F45H8	49
16	Alignment Plan of Village Map	50
17	Alignment Plan	51
18	Geo Referance Map	52

इसके अतिरिक्त वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रस्ताव में निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किया गया हैः–

(1) Form 'A' Part-II with Inspection report and recomedation — Anx-1
(2) Tree Enumeration List- — Anx-2
(3) Time Line Details- — Anx-3

वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा विषयगत प्रस्ताव का Part-II को Online upload कर Generated Hard copy एवं Timeline details की प्रति हस्ताक्षर कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 15.9.2016, 22.9.2016 तथा 09.04.2017 को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल की उपस्थिति में किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार विषयगत प्रस्ताव से संबंधित वस्तुस्थिति Part-III (Inspection report & Recommmedation) को Website पर upload कर दिया गया है। Generated timeline detail की प्रति एवं प्रस्ताव दो प्रतियों में अत्रसह संलग्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित है। नियमानुसार विषयगत परियोजना हेतु संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 2.356 हे0 वनभूमि अपयोजन की अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के मंतव्य से सहमत है। अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 2.356 हे0 वनभूमि अपयोजन के लिए Stage-I स्वीकृति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

23/5/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

KDn
23.5.17

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Reconstruction of (Widening & Strengthening) of Gua Link Road.(MDR-187) [Hathi Chowk (Baraiburu) to Gua]. Total Length- 6.865 Km. 2.356 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 2.356 ha. Forest land.

Date :- 23.05.2017

Place :- Ranchi.

Signature

23/5/17

(RAMESH RAMSAI HEMBROM)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of
Forest-cum-Executive Director
Wasteland Development Board
Jharkhand Ranchi

(Official Seal)